न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 169 / 2024 निर्णय दिनांक :– 30/8/2024

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. कैलाशी पुत्री नाथू जाति कुम्हार निवासी देवडावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. गीता पुत्री नाथू जाति कुम्हार निवासी देवडावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. प्रेमचन्द पुत्र नाथू जाति कुम्हार निवासी देवडावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. बद्री पुत्र नाथू जाति कुम्हार निवासी देवडावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. महावीर पुत्र नाथू जाति कुम्हार निवासी देवडावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
6. रतनलाल पुत्र नाथू जाति कुम्हार निवासी देवडावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
7. सत्यनारायण पुत्र नाथू जाति कुम्हार निवासी देवडावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

तहसीलदार दूनी

उपस्थिति :– श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 213 खसरा नम्बर 903 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 904 रकबा 0.77 है0 व खसरा नम्बर 905 रकबा 0.54 है0 वाके ग्राम देवडावास तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण उक्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज है। उक्त भूमि की नाप चोक कराई थी, जिसके सीमा चिन्ह मिट चुके है। प्रार्थीगण व अडोस पडोस के खातेदारों के मध्य सीमा व कब्जे को लेकर गम्भीर विवाद होने की संभावना है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी भूमि बाबत् उत्पन्न होने वाले विवाद को समाप्त करने के लिए उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है। यदि उक्त

Scanned with OKEN Scanner

भूमि की पत्थरगढी नही करवायी गई तो मोके पर गंभीर विवाद होगा, लडाई झगडा होगा तथा अनावश्यक रूप मुकदमें बाजी बढेगी। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार दूनी की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार दूनी द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :– उक्त आराजी प्रार्थी की खातदारी में दर्ज है व कब्जे काश्त की है व अन्य खातेदारों का कब्जा नही है। आवेदक का अन्य पडोसी खातेदारान खसरा नम्बर 901 रकबा 0.95 से सीमा विवाद है। जिन खातेदारों से सीमा विवाद है उनको पक्षकार नही बनाया गया है। उक्त आराजी के सम्बंध मे किसी भी पक्षकार का विरासत नामान्तकरण अवशेष नही है। उक्त आराजी भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि नही है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में स्थगन नही है और पूर्व में सीमाज्ञान नही हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई ।

अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया। तहसीलदार दूनी की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार दूनी को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पडोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबंदी सम्वत् 2071–74 में अंकित खाता संख्या 213 खसरा नम्बर 903 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 904 रकबा 0.77 है0 व खसरा नम्बर 905 रकबा 0.54 है0 वाके ग्राम देवडावास तहसील दूनी जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी प्रार्थी/प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की जावे अन्यथा उक्त आराजी

Scanned with OKEN Scanner